न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—275/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/275

अपीलाण्ट :—

फौजाराम गोदपुत्र श्री समीया, उम्र 72 वर्ष, जाति मेघवंशी, निवासी पावटा, तहसील आहोर जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

1. पोनी देवी पुत्री श्री समीयाजी पत्नि हंसाराम जात्ति मेघवंशी, निवासी पावटा, तहसील आहोर, हाल पुराने पोवर हाउस के पास, बागरा रोड, जालोर जिला जालोर।
2. सुमटि पुत्री समीयाजी पत्नि खीमाजी, जाति मेघवंशी, निवासी पावटा हाल पलासिया तहसील आहोर, जिला जालोर।
3. ग्राम पंचायत पावटा जरिये पदेन सचिव ग्राम पंचायत पावटा, पंचायत समिति आहोर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 28.03.2014 जो राजस्व अपील संख्या 03/2012 अनवान पोनीदेवी बनाम फौजिया मे श्री उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 46 ग्राम पावटा को निरस्त कर मामल तहसीलदार आहोर को प्रतिप्रेषित किया।

उपस्थिति :—
1. श्री राजूराम हरियाल, श्री लाधूराम पुनिया, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री सुरेन्द्रकुमार दवे, श्री राधाकिशन चौधरी, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः— 24.12.2024

1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के आदेश दिनांक 28.03.2014 जो राजस्व अपील संख्या 03/2012 अनवान पोनीदेवी बनाम फौजिया जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 46 ग्राम पावटा को निरस्त कर मामला तहसीलदार आहोर को प्रतिप्रेषित किया से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।
2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।
3. बहस वकुलाय सुनी गई।

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

विद्वान उपखण्ड अधिकारी आहोर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–03–2014 न्याय, नियम व प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 पोनी देवी की प्रथम अपील को स्वीकार करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है।

विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी सुमटी देवी के जबाब पर गोर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्याय नियम के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने के योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसके पिता के देहांत के बाद अपीलाधीन नामांतकरण अपीलार्थी के नाम दर्ज करने की शुरू से जानकारी थी तथा उत्तने लम्बे अंतराल के बाद 45 वर्ष से अधिक समय बाद अपील प्रस्तुत की, जिसको लम्बी देरी बाद प्रस्तुत का कोई पर्याप्त कारण नही था इसलिये प्रथम अपील चलने लायक नही होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने इस कारण की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने के योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 विवाह के बाद अपने ससुराल मे रहती है जिनका कोई कब्जाकाश्तकभी नही रहा है बिना कब्जे के उनके नाम नामांतकरण दर्ज किये जाने का आदेश नही दिया जा सकता है तथा अपीलार्थी मृतक खातेदार समिया के जीवनकाल से लगातार भूमि पर काबिज है एवं काश्त करता आ रहा है तथा भूमि का लगान भी उसके द्वारा अदा किया गया है जो राजस्व रेकर्ड मे खातेदार दर्ज है इसप्रकार विद्वान उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन आदेश उक्त तथ्यो की अनदेखी करके पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

मौजा पावटा ख0न0 54/1 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा, ख०न० 54/2 रकबा 3 बीधा 16 बिस्वा समिया पुत्र गलिया की खातेदारी की थी, समिया का देहांत दिनांक 15.05.1965 को हो गया था, समिया के देहांत के बाद उपरोक्त भूमि जरिये विरासत के नामांतकरण संख्या 46 के अपीलार्थी फौजिया के नाम दर्ज की गयी।

नामांतकरण संख्या 46 के पारित होने के 45 वर्ष से अधिक समय बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 पोनीदेवी ने अपील संख्या 3/2012 विद्वान उपखण्ड अधिकारी आहोर के न्यायालय में प्रस्तुत की एवं कथन किया कि मृतक खातेदारी समिया के उतराधिकारी है जिसमे अपीलार्थी पोनीदेवी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 सुमटी दो जायंदा पुत्रिया तथा तीसरा प्रत्यर्थी संख्या 1 फौजिया गोदपुत्र है। परन्तु समिया के विरासत के नामांतकरण ने पुत्री पोनीदेवी एवं सुमटी का नाम दर्ज नहीं करके

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अकेले फोजिया के नाम दर्ज कर दिया, जो नामांतकरण विधि विरुद्ध है जिसको निरस्त किया जाये तथा समिया के सभी उतराधिकारियो के नाम नामांतकरण दर्ज किया जाये।

अपीलार्थीनी पोनीदेवी की उपरोक्त वर्णित अपील का प्रत्यर्थी संख्या 2 सुमटि ने जबाब प्रस्तुत कर बताया कि उसने अपने पिता से प्राप्त भूमि का हकतर्कनामा गोदभाई फोजिया के नाम दिनांक 09.07.2013 को कर दिया है तथा उसके हिस्से की भूमि का हकतर्क के आधार पर फौजिया को सम्पूर्ण हक प्राप्त हो गया है तथा अपने जबाब में यह भी बताया है कि समियाजी के देहांत के बाद समियाजी की पुत्रियों को विरासत का नामांतकरण फोजिया के नाम दर्ज करने की जानकारी नामांतकरण दर्ज करने की दिनांक से ही थी तथा नामांतकरण फौजिया के नाम दर्ज करने का दोनों मे से किसी ने एतराज नही किया। पोनीदेवी ने 40 वर्ष बाद म्याद बाहर अपील पेश की है जो खारिज किये जाने के योग्य है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपील के म्याद को सर्वप्रथम तय नही किया जबकि धारा 3 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अनुसार म्याद बाहर प्रस्तुत अपील मे म्याद के बिन्दू को सर्वप्रथम तय किया जाना आवश्यक है। तथा उसके बाद ही गुणावगुण पर निर्णय किया जा सकता है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.03.2014 द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 46 को निरस्त कर मामला तहसीलदार आहोर को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश दे दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनाक 28.03.2014 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 की प्रथम अपील संख्या 03/2012 को मय खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमाये तथा नामान्तकरण संख्या 46 ग्राम पावटा को बहाल किये जाने का आदेश फरमावे, अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में पारित किया जाना आवश्यक समझे तथा जो अपीलार्थी के पक्ष में हो सादिर फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

रेस्पोडेण्ट के पिता स्व. समीया पुत्र गलीया की खातेदारी आराजी मौजा पावटा के गत् ख.स. 54/1 रकबा 19 बीधा 12 बीस्या, ख.सं. 54/2 रकबा 3 बीघा 16 बीस्वा थी । स्व समीयाजी के जायज वारीसानो में यह भी मौजूद है तथा वह अपने हिस्से में आई हुई पैतृक आराजी के अनुसार आज भी काबिज काश्त है तथा समीयाजी की मृत्यु उपरान्त जो नामान्तरणकरण ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरणकरण स्वीकार करते समय स्व. समीयाजी के समस्त वारीसान की विधिवत् जांच नहीं की एवं ना ही उनकी सुनवाई का अवसर देने हेतु किसी भी प्रकार का नोटिस जारी किया तथा उसके पिता समीयाजी ने अपने जीवनकाल में फौजीया को गोद नहीं लिया है एवं ना ही समीयाजी का कोई पुत्र था इसको साबित करने के लिये पोनी देवी ने फौजीया के माध्यमिक परीक्षा 1969 का प्रमाण पत्र फौजीया की पुत्री विमला की शादी की आमत्रंण पत्रिका एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का कार्यालय आदेश प्रस्तुत किया जिसमें फौजीया के पिता का नाम खीमाराम दर्ज है एवं उसके गोद पिता समीयाजी कही पर भी उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 सुमटी द्वार अपने हिस्से में आई अपने पिता की पैतृक आराजी में से अपने हिस्से का हकतर्कतनामा दिनांक 09.07.2013 को उप पंजीयक कार्यालय आहोर में फौजीया के पक्ष में निष्पादित कर दिया है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

फौजीया स्व समीया का गोदपुत्र नही है । अगर फौजीया स्व समीया के गोद जाता तो यह अपनी पुत्री की शादी की आमन्त्रण पत्रिका में अपने पिता के नाम खीमाराम की बजाय समीया लिखवाता । इसलिए तहसीलदार, आहोर ने प्रकरण से सम्बन्धित खातेदारी अराजी में स्व. समीया की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक बारीसान होने के नाते पोनी देवी एवं फौजीया ही मात्र उत्तराधिकारी है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित को यथावत रखने का निवेदन किया है।

7. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का बगोर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि उपखण्ड अधिकारी, आहोर द्वारा दिनांक 28.3.2014 को पारित निर्णय अनुसार मृतक समीया की विरासत ना.करण संख्या 46 को निरस्त कर तहसीलदार आहोर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि स्व. समिया की जायज वारिसान बाबत जांच कर हकतर्कनामा एवं भूमि रहन होने बाबत तथ्यो को भी रेकर्ड पर लेते हुए वारिसान के नाम नातान्तरणकरण के निस्तारण की कार्यवाही की जावे। उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 20.4.2015 को पारित आदेशानुसार "विधिक वारीसान पोनीदेवी पुत्री समीयाजी एवं फौजीया गोद पुत्र समीया का नाम नये सिरे नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाता है"।

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि मृतक समीया के 3 वारीस फौजीया,पोनीदेवी, एवं सुमटी है। एवं सुमटी द्वारा अपने हिस्से का हकतर्क फौजीया के पक्ष में निष्पादित करवाने का तथ्य अंकित किया गया है। यदि यह तथ्य सही है तो अपीलाण्ट फौजीया का 2/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेण्ट पोनी का 1/3 हिस्सा होना प्रकट होता है। परन्तु तहसीलदार द्वारा इस बिन्दु पर समुचित विचार नही किया गया है। इस पर विस्तृत जांच कर तहसीलदार द्वारा पुनः नामान्तरण की कार्यवाही करना आवश्यक है। जिस बाबत न्यायालय हाजा में जैरकार पृथक अपील संख्या 194/2024 में विस्तृत निर्देश दिये जा चुके है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह सुस्पष्ट है कि हस्तगत अपील उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.3.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को सभी सुसंगत बिन्दुओ पर भली भांति जांचकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2014 में प्रदत्त निर्देशो की अक्षरशः अनुपालना नही की गई है। एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.3.2014 विधि अनुसार ही जारी किया गया है। अतः इस आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner